आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/56723/2016 दिनांक :- 8-9-2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

विषयः– रिपोर्टिंग प्रपत्र (जन्म/मृत्यु/मृत जन्म) की समस्त प्रविष्टियां भरने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिये यथास्थिति धारा 8 या 9 के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित इत्तिला क्रमशः प्रपत्र संख्या –1 (जन्म), 2 (मृत्यु), 3 मृत जन्म) एवं दत्तक ग्रहण किये गये बच्चों के लिए प्रपत्र संख्या–1 क में दी जाती है परन्तु देखने में आया है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा आवेदक से रिपोर्टिंग प्रपत्रों के सभी कॉलम की पूर्ति नही कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप जीवनांक सांख्यिकी के मध्यनजर सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग नही हो पा रहा है जबकि प्रपत्रों की समस्त सूचनाओं का भरा जाना अनिवार्य है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को पाबन्द करें की रिपोर्टिंग प्रपत्र की समस्त सूचनाऐं आवेदक से पूर्ति कराया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण सूचना के अभाव में रिपोर्टिंग प्रपत्र स्वीकार्य नही होगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम, ...
3. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, समस्त।
4. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म–मृत्यु), समस्त।

उप निदेशक (जीवनांक)